13 सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिये पूर्व की नीतियाँ [EARLIER POLICIES FOR UNIVERSAL ELEMENTARY EDUCATION]

शिक्षा में सार्वभौमीकरण (UNIVERSALIZATION IN EDUCATION)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 1950 में **भारत के संविधान** को स्वीकार करने के बाद निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता, कुशल गणतन्त्र, सफल नागरिकता, सबल राष्ट्र के निर्माण के लिए महसूस की गई। इसीलिए भारत के संविधान में धारा 45 के अन्तर्गत निःशुल्क, अनिवार्य एवं **सार्वभौमिक शिक्षा** का प्रावधान किया गया। जिसके अन्तर्गत संविधान की धारा 45 की व्याख्या इस प्रकार की गई है—"राज्य इस संविधान के लागू किये जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान करेगा।"

"The state shall endeavour to provide with a period of ten years from the commencement of this constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years." **—Article 45**

शिक्षा में यह सार्वभौमीकरण सबसे अधिक प्राथमिक स्तर पर आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अर्थ है 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को या कक्षा 1 से कक्षा 7 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना। इस शिक्षा के अवसर शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। इसका यह अर्थ है कि "प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की संकल्पना स्वीकार करती है कि बिना जाति, धर्म या मत इत्यादि की ओर ध्यान दिए शिक्षा प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार है। इसका यह अर्थ भी है कि देश के अमीर या गरीब वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले नगरों या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले तथा दुर्गम स्थानों में रहने वाले सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधायें प्रदान की जायेंगी।"

प्राथमिक शिक्षा के **सार्वभौमीकरण** का अर्थ प्रारम्भिक (प्राथमिक) स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना भी है। विकसित तथा अधिक विकसित देशों में निःशुल्क शिक्षा का अर्थ फीस न होना, निःशुल्क पुस्तकें तथा कॉपी-पेन्सिल आदि, निःशुल्क दोपहर का भोजन तथा निःशुल्क स्कूल परिवहन इत्यादि है। परन्तु भारत जैसे विकासशील देशों में बच्चों को ये सब सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान करना कुछ कठिन अवश्य है।

सार्वभौमीकरण की अवस्थायें (STAGES OF UNIVERSALIZATION)

शिक्षा में सार्वभौमीकरण हेतु तीन अवस्थायें हैं–

(1) सार्वभौमीकरण हेतु प्रावधान (Provisions for Universalization),

(2) प्रवेश का सार्वभौमीकरण (Universalization of Enrolment),

(3) अवधारणा का सार्वभौमीकरण (Universalization of Retention),

(4) सार्वभौमीकरण की प्रगति/सफलता (Progress/Success in Universalization)।

सार्वभौमीकरण हेतु प्रावधान में अधिकार अधिकतम मुख्य है–सभी बच्चों को पढ़ने हेतु एक निश्चित दूरी तक विद्यालयी सुविधायें प्रदान करना अर्थात् जहाँ तक सम्भव हो बालक के घर से एक मील की दूरी के अन्दर-अन्दर प्राथमिक विद्यालय खोले जायें। इस सन्दर्भ में प्राथमिक विद्यालयों की बढ़ती हुई आवश्यकता को सदा ध्यान में रखा जाय।

सार्वभौम नामांकन (Universal Enrolment)–सार्वभौमिक नामांकन का अभिप्राय निर्धारित प्रवेश आयु अर्थात् 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में प्रवेश दिलाने से है। सामान्यतः यह पाया गया है कि अनेक बच्चे स्कूल में प्रवेश ही नहीं लेते हैं। अनुमानतः 11% बच्चे (लड़कों में 2% तथा बालिकाओं में 20%) विद्यालय में प्रवेश नहीं लेते हैं। अतः सार्वभौमिक नामांकन से अभिप्राय है कि इस वय वर्ग के सभी बच्चे स्कूल में प्रवेश लें। परन्तु यह कार्य अभी काफी सीमा तक शेष है। विशेषतः लड़कियाँ, जनजातियों के बच्चों तथा निम्न स्तर के लोगों के बच्चों के नामांकन का कार्य पर्याप्त सीमा तक बाकी है।

नामांकन का सार्वभौमीकरण न होने का प्रमुख कारण बच्चों की आर्थिक दशा का खराब होना है, जो अपने माता-पिता की जीविकोपार्जन में सहायता करते हैं। वे विद्यालय जाने की बजाय अपने परिवार की आय की पूर्ति के लिए फार्म एवं खेतों, दुकानों तथा कारखानों में काम करते हैं। लड़कियाँ जीविकोपार्जन में प्रत्यक्ष रूप से सहायता न देकर घर के कामकाज तथा छोटे भाई-बहनों की देखभाल करती हैं। ऐसे बच्चे विद्यालय जाने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि इनको परिवार की दृष्टि से किसी-न-किसी कार्य के लिए आवश्यक समझा जाता है। साथ ही माता-पिता की उदासीनता तथा अप्रासंगिक एवं नीरस विद्यालय पाठ्यक्रम और सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराएँ नामांकन के सार्वभौमीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएँ हैं।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप देश की 94 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को एक किलोमीटर के दायरे में कम-से-कम एक प्राथमिक विद्यालय तथा 84 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को तीन किलोमीटर के दायरे में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराया गया। फलस्वरूप प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला प्रतिशत निरन्तर बढ़ा और यह प्राथमिक विद्यालयों में 1950-51 में 42-60 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 92·14 प्रतिशत हो गया। इस उपलब्धि के होते हुए भी हम सार्वभौम नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। सरकार ने नौवीं योजना में अर्थात् 2002 तक 6-14 आयु वर्ग के शत-प्रतिशत बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा सुलभ कराना अपना लक्ष्य निर्धारित किया।

इसी प्रकार इस समयावधि को बढ़ाकर सन् 2012 तक कर दिया गया परन्तु शत- प्रतिशत नामांकन संभव श्रोता नहीं दिखता है। इस दिशा में, प्राप्ति हेतु सरकार ने भी अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अभिभावकों में जागरूकता पैदा करना, विद्यालयों की स्थिति में सुधार करना, बच्चों के लिए

सप्ताह भोजन की व्यवस्था करना, अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों को निःशुल्क भोजन और पहनने के लिए निःशुल्क स्कूल ड्रेस उपलब्ध करना मुख्य है।

सार्वभौमीकरण में प्रगति/सफलता (Progress/Success in Universalization)– शिक्षा के सार्वभौमीकरण की सफलता तभी सम्भव है। जब सभी बच्चे शिक्षित हो जायें, ऐसा करने के लिए सभी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार सार्वभौमीकरण में प्रगति से आशय शत प्रतिशत बच्चों की प्राथमिक शिक्षा समय के अन्दर पूरी कराकर उन्हें परीक्षाओं के उत्तीर्ण करता है। वस्तु स्थिति यह है कि सन् 2011 में भी लगभग 20% बच्चे अपना पाठ्यक्रम समय से पूरा नहीं करा रहे थे। जिसका कारण-प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या का बोझिल होना, विद्यालयों में भवन, फर्नीचर शिक्षण सामग्री आदि की कमी व शिक्षकों की लापरवाही तथा अधिकतर बच्चों व अभिभावकों का शिक्षा के प्रति समर्पित भाव न होता है। जिसके कारण सार्वभौमीकरण की प्रगति/सफलता बाधित होती है।

अतः शिक्षा के सार्वभौमीकरण की सफलता कभी सम्भव है जब देश का प्रत्येक बालक शिक्षित हो जाये और वह सफल नागरिक बन जाये। दूसरे अर्थों में बालक राष्ट्रीय प्रणाली का हिस्सा बन जाये। **हेनरी डब्ल्यू. होम्स** के अनुसार–"राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्राथमिक कार्य यह है कि वह देश के नवयुवकों को वयस्क जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार करे। ऐसा करने के लिए उसे प्रत्येक बालक एवं बालिका को किसी कार्य या पेशे के लिए तैयार करना चाहिए था। उसे उन्हें किसी कार्य या व्यवसाय के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। साथ ही वह लोकतान्त्रिक नागरिकता के लिए तैयार करें तथा सुखद, जीवन के लिए उन्हें व्यक्तिगत साधन सम्पन्नता से सुसज्जित करें।

शिक्षा में सार्वभौमीकरण की आवश्यकता व महत्त्व (NEED AND IMPORTANCE OF UNIVERSALIZATION OF EDUCATION)

वर्तमान समय में शिक्षा के सार्वभौमीकरण की आवश्यकता एवं महत्त्व के निम्न कारण हैं–

(1) शिक्षा में सार्वभौमीकरण **साक्षरता के प्रसार में सहायक** है।

(2) शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है तथा शिक्षित व्यक्ति ही स्वयं के विकास के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्रीय विकास में योगदान करता है।

(3) शिक्षा का सार्वभौमीकरण विज्ञान एवं तकनीकी विकास का लाभ उठाकर **सामाजिक विकास में सहयोग प्रदान करना** भी है।

(4) शिक्षा का सार्वभौमीकरण **व्यावसायिक सफलता के विकास में सहायक** है।

(5) शिक्षित नागरिक **राष्ट्रीय विकास** को बनाये रखने में मदद करते हैं।

(6) शिक्षा का सार्वभौमीकरण **लोकतन्त्र की सफलता** हेतु आवश्यक है। क्योंकि अशिक्षा के कारण ही भारत में जातिवाद, भाषावाद, प्रवेशवाद, साम्प्रदायिकता तथा क्षेत्रीयवाद जैसी विकराल समस्याएँ आती हैं।

(7) शिक्षा में सार्वभौमीकरण **दैनिक जीवन की सफलता हेतु** भी सहायक है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षित व्यक्ति छोटी-छोटी खराबियों को सरलता से दूर कर सकता है।

(8) शिक्षा में सार्वभौमीकरण के द्वारा उच्च शिक्षा के प्रति बालकों में ललक पैदा होती है।

(9) अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास में सहायक है।

शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान (CONSTITUTIONAL PROVISIONS FOR UNIVERSALIZATION OF EDUCATION)

मानव के विकास के लिए शिक्षा अति आवश्यक है क्योंकि शिक्षा ही उसे सुसंस्कारित करते हुए सच्चा मानव बनाती है। मानव का सर्वांगीण विकास शिक्षा से ही सम्भव है। शिक्षा द्वारा ही मानव की जन्मजात प्रवृत्तियों का मार्गान्तरीकरण व शोधन होता है। अतः शिक्षा की इसी महत्ता को ध्यान में रखते हुए अनेक राष्ट्रों द्वारा अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा हेतु कई प्रयत्न किये गये ताकि उनका राष्ट्र विकास की दौड़ में पीछे न रहे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने हेतु किए गए प्रयास– 1857 में भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रान्ति का दमन करने के बाद 1858 से यहाँ सीधे ब्रिटेन की सरकार का शासन स्थापित हो गया। लार्ड कैनिंग ने 1859 में प्राथमिक शिक्षा कर लगाया और इससे प्राप्त धनराशि से प्राथमिक शिक्षा के विकास का प्रयत्न शुरू किया, किन्तु इससे उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। 1882 में उसने भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए नियुक्त भारतीय शिक्षा आयोग (हण्टर कमीशन) की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों ने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयत्न शुरू किये, जिससे 1881-82 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 82,916 तथा छात्र-छात्राओं की संख्या 20,61,541 थी, जो 1901-02 में बढ़कर क्रमशः 93,604 और 30,76,671 हो गई, फिर भी प्राथमिक शिक्षा को जनशिक्षा का रूप नहीं दे सके। राष्ट्रीय नेताओं ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग की। तत्कालीन बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने 1892 में अपने राज्य के 9 ग्रामों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना लागू की। इस कार्य में सफल होने के परिणामस्वरूप 1906 में उन्होंने एक अधिनियम द्वारा राज्य में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। 1910 में गोखले ने केन्द्रीय धारा सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में एक प्रस्ताव रखा, जिसे सरकार ने अस्वीकार करते हुए उसके लिए प्रयत्न करने का आश्वासन अवश्य दिया। मार्च, 1911 में गोखले ने इसे केन्द्रीय धारा सभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया तो ये भी अस्वीकार हो गया। सरकार ने 1913 में शिक्षा सम्बन्धी नए प्रस्ताव (नीति) के तहत 1920 तक 11 में से 7 प्रान्तों (मुम्बई, पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बंगाल, बिहार, ओडिसा, मध्य प्रदेश और चेन्नई) में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पास किए गए और प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की गई। 1937 में हमारे देश में प्रान्तों में स्वसरकारों का गठन हुआ और 11 में से 7 प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बने। महात्मा गाँधी ने वर्धा शिक्षा सम्मेलन में राष्ट्रीय योजना प्रस्तुत की। किन्तु 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया और विकास कार्यों में बाधा आई। युद्ध समाप्ति के बाद उन्होंने यह योजना 1944 में प्रस्तुत की। सरकार ने इसे कम समय में पूरा करने का निर्णय लिया, परिणामस्वरूप हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा का भी विकास शुरू हुआ।

स्वतन्त्र भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास (Development of Primary Education in Free India)-15 अगस्त, 1947 को हमारा देश स्वतन्त्र हुआ और 26 जनवरी, 1950 से हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू हुआ। प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में इसकी 45वीं धारा में स्पष्ट निर्देश (Directive) है-"राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से दस वर्ष के अन्दर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा।" (``The state shall endeavour to provide with in a period of ten years from the commencement of the constitution, for free and compulsory education for all children untill they complete the age of fourteen years-Article 45 Constituton of India") और बस तभी से हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा को

अनिवार्य एवं निःशुल्क करने की ओर ठोस कदम उठाए गए, किन्तु आजादी के 61 वर्ष के बाद भी इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाये हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में निम्न बाधाएँ आती रही हैं-

- धन की कमी।
- जनसंख्या वृद्धि।
- कर्त्तव्यनिष्ठता में कमी।
- सामाजिक पिछड़ापन।
- वैचारिक मतभेद इत्यादि।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा का विकास (Development of Primary Education under Five Year Plans)-1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में शिक्षा पर 153 करोड़ रुपये व्यय हुए, जिनमें से 85 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं उसके उन्नयन पर व्यय किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) में शिक्षा पर 273 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जिनमें से 95 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किए गए। इस योजना के तहत 1957 में केन्द्र सरकार ने 'अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद्' (All India Council for Elementary Education, AICEE) का गठन किया, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए तथा प्रसार कार्य में तेजी आई। तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) में शिक्षा पर 589 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जिनमें से 201 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किए गए। इससे प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई। इसी बीच 1966 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा नीति, 1968 की घोषणा की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) में शिक्षा पर कुल 786 करोड़ रुपये व्यय किए गए, जिनमें से 239 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा के विकास पर व्यय किया गया। इसी योजना के अन्तर्गत एक शिक्षकीय प्राथमिक स्कूलों की स्थापना में वृद्धि हुई। इसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में शिक्षा पर कुल 912 करोड़ व्यय किए गए, जिनमें से 317 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन एवं विकास के लिए व्यय किए। इस योजना में स्कूल के छात्र/छात्राओं के लिए निःशुल्क मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई और कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें एवं लेखन सामग्री वितरित की गई। पाँचवीं योजना के अंतिम वर्ष 6-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिए, जो किसी कारण औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, निरौपचारिक शिक्षा (Non-formal Education) शुरू की गई। छठी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा पर 836 करोड़ रुपये शिक्षा पर व्यय किये गए। इस योजना में निरौपचारिक शिक्षा (Non-formal Education) का विस्तार किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में शिक्षा पर कुल 7,633 करोड़ रुपये व्यय किये गए और इनमें से 2,849 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किए गए। 1987-88 में **'ब्लैक बोर्ड योजना'** (Operation Black Board) शुरू की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में शिक्षा पर कुल व्यय 19,600 करोड़ रुपये व्यय किये गए, जिनमें से 9,201 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किए गए। 1994 में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में **'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम'** (District Primary Education Programme, DPEP) शुरू किया गया। नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में शिक्षा के लिए 20381.6 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था, जिनमें से 1184.4 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा के लिए रखे गए, परन्तु व्यय 1636.5 करोड़ किए गए। नवम्बर, 2000 में **'सर्वशिक्षा अभियान'** (Sarva Siksha Abhiyan) मंजूर किया गया और जनवरी, 2001 में इसे शुरू किया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) में शिक्षा के लिए 42,850 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था, जिनमें से 28,750 करोड़ रुपये प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं

उन्नयन के लिए रखे गए थे। इस योजना के दौरान दिसम्बर, 2002 में संविधान में 86 वाँ संशोधन कर धारा 21-A जोड़ी गई, जिसके द्वारा 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को उनका मूल अधिकार घोषित किया गया। वर्तमान 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) चल रही है। अखबारी सूचनाओं के अनुसार इस योजना का मुख्य लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। प्राथमिक स्कूल उन स्थानों पर खोले जाएंगे जहाँ 1 किमी. की दूरी पर स्कूल न हो। सभी स्कूलों में नए कमरे, पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाएगी। कुछ चुने हुए प्राथमिक स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

उपर्युक्त प्रयासों के अतिरिक्त ऐसे समग्र कार्यक्रमों की भी आवश्यकता महसूस की गई जिसमें समुदायों की भी सहभागिता हो। अतः 73वें तथा 74वें संशोधन अधिनियमों के बनने के पश्चात् अस्तित्व में आई पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को शामिल कर प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर की **ग्रामीण शिक्षा समितियों** (V. E. C. M.) मातृ अध्यापक एसोशिएशन (M. T. A.) तथा अभिभावक शिक्षक संघ (P. T.A.) की गाँव में स्कूलों के संचालन तथा प्रबन्धन में औपचारिक भूमिका को सुनिश्चित किया गया। साथ ही दसवीं योजना में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्या के क्षेत्रों की पहचान करने तथा प्रत्येक समस्या के लिए अलग रणनीति बनाने पर विशेष बल दिया गया।

प्राचीन शिक्षा के सार्वभौमीकरण (U.P.E.) को बढ़ाने तथा साथ-साथ प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पोषण की स्थिति में सुधार के लिए लक्ष्य को लेकर सरकारी, स्थानीय निकायों तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया गया है ताकि लक्षद्वीप जो अपने स्वयं के कार्यक्रम चलाता है, को छोड़कर सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों को शामिल किया जा सके। केन्द्र इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाज मुफ्त उपलब्ध कराकर सहायता देगा। वर्ष 2002-03 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 103 मिलियन बालकों को शामिल किया गया था जिसके लिए 2·83 मिलियन टन अनाज आबंटित किया गया।